उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एंव पर्यावरण संरक्षण

ज्योति धर्मशक्तू*

पर्यावरण हमारे आस–पास का वो वातावरण हैं, जो हमारे चारों ओर होता **हैं,** जिसमें हम निवास करते हैं। सम्पूर्ण सौर परिवार में केवंल हमारा गृह पृथ्वी ही एकमात्र हैं जिस पर जीवन हैं। स्वस्थ्य जीवन के लिए स्वस्थ्य एवं संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता होती है, परन्तु वर्तमान में मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में भाग रहा है तथा पर्यावरण को अनदेखा करके उसे प्रदूषित करता जा रहा है। जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद एवं भयानक बीमारियाँ आदि समस्याऐं बढ़ती जा रही हैं।

प्रस्तावना

"पर्यावरण के अन्तर्गत सभी भौतिक तथा जैविक पदार्थों और उनके आपसी सम्बन्धों को सम्मिलित किया जाता है।" इस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप संतुलन ही पर्यावरण है। मनुष्य एवं पर्यावरण का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य को स्वस्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ्य पर्यावरण की आवश्यकता है। जैसे–जैसे व विकास की ओर अग्रसर हुआ उसने नवीन तकनीकी का प्रयोग प्रारम्भ किया। मनुष्य विकास के नाम पर धीरे–धीरे स्वार्थी होता गया तथा पर्यावरण प्रदूषण (जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, पेड़ों का कटान, न्यूक्लियर प्रदूषण) बढ़ता चला गया। जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण 21वीं शताब्दी की एक सर्वाधिक गम्भीर एवं चुनौतीपूर्ण समस्या बन गयी है। औद्योगिक क्रान्ति ने प्रदूषण को जन्म दिया तथा बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों का इस सीमा तक दोहन किया, कि सब कुछ पाने की होड़ में आम आदमी का जीवन दूभर हो गया। वनों के विनाश ने ऋतु चक्र को गड़बड़ा दिया, वर्षा कम होने लगी, अकाल पड़ने लगे, चारे की कमी से पशुपालन प्रभावित हुआ। प्रकृति के असन्तुलन से पर्यावरण विकृत हो गया।[3] भारत वर्ष ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक देश इससे निजात पाना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत् है। 8 से 12 जुलाई 2009 में लाक्विला इटली में जी–8, जी–5, सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि **"पर्यावरण समस्या विश्व की आर्थिक मंदी से बड़ी समस्या है।"**

उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य समय–समय पर दिये गये निर्णयों का अध्ययन करना। इन निर्णयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना। उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण में उच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का अध्ययन करना। उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी दिये गये निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध कार्य के लिए ऐतिहासिक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया।

1976 के पहले भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित कोई भी प्रावधान नहीं मिलता है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए। अनुच्छेद–48(क)– इस अनुच्छेद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा वन व वन्य जीव संरक्षण के सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि राज्य, देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का व वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद–51(क), (छ)– संविधान के भाग–4(क) अर्थात् मूल कर्त्तव्यों वाले भाग में कहा गया है– भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। भारतीय संविधान सम्भवतः विश्व के उन गिने–चुने संविधानों में से एक है। जिसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष उपबन्ध हैं।

* शोध छात्रा राजनीतिक विज्ञान विभाग डी0 एस0 बी0 परिसर नैनीताल

"एम.सी.मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया वाद" में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद–51(क) के उपखण्ड (छ) के अधीन निम्न निर्देश जारी किये हैं–

केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के शिक्षण संस्थाओं में कम से कम सप्ताह में एक घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का निर्देश दें।

इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रशासन तथा न्यायपालिका को मिलकर पर्यावरण के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना होगा, परन्तु जब व्यक्ति अपने स्वार्थ तथा विकास के नाम पर, प्रशासन भी पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर पर्यावरण प्रदूषण में अपनी भूमिका निभाने लगे तब न्यायपालिका को उचित निर्णय के लिए कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों में उचित हस्तक्षेप करना पड़ता है।

विज्ञप्ति–मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2014 के अनुपालन में नैनीताल जिले में दिनांक 15–07–2014 से पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध किया जाता है तथा जो कोई व्यक्ति, नैनीताल जिले में किसी भी स्थान पर किसी प्रकार पॉलीथीन का प्रयोग करता पाया जायेगा तो मौके पर ही रू0 500/के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

उपरोक्त उच्च न्यायालय द्वारा पॉलीथीन प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध किये गये आदेश से उच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता स्पष्ट प्रदर्शित होती है। हम सब जानते हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, परन्तु अपनी सुविधा एवं स्वार्थ के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते रहे, परन्तु जब न्यायपालिका का आदेश जारी हुआ तब पॉलीथीन का प्रयोग नैनीताल शहर में पूर्णरूप से निषिद्ध किया गया।

अजय रावत बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया वाद–डॉ0 अजय रावत जो कि एक पर्यावरणविद् हैं तथा डॉ0 रावत डी0 एस0 बी0 परिसर नैनीताल में इतिहास विषय के प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉ0 अजय रावत ने सन् 2005 में जनहित याचिका (PIL) रिट पिटीशन न0 694, आवेदन संख्या 7 दायर की थी। इसमें डॉ0 अजय रावत ने नैनीताल में स्थित नैनी झील तथा नौ अन्य झीलें जो नैनीताल क्षेत्र में स्थित हैं, इन प्रदूषण से बचाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इन झीलों के पानी से आस–पास के क्षेत्र में सिंचाई का जल प्रयोग किया जाता है जो कि कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक है। डॉ0 रावत के प्रयासों का ही परिणाम है कि नैनी झील तथा नैनीताल क्षेत्र के नौ अन्य झीलों के संरक्षण के लिए **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार** द्वारा 640 करोड़ रूपये तथा 115 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये। डॉ0 रावत के प्रयासों के कारण पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी नैनी झील को फिर से पुनर्जिवित किया गया। झील में ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाया गया साथ ही झील में वायु शुद्धिकरण यंत्रों को स्थापित किया गया। ऐसा भारत में पहली बार किया गया था। झील में महासीर तथा मीरर क्रेप जैसी मछलियाँ जो झील की पारिस्थितिकीय के लिए अनुकूल हैं। उन्हें झील में डाला गया तथा बिग हैड क्रेप, गम्बुसिया तथा कैट मछलियाँ जो कि झील की पारिस्थितिकीय के लिए प्रतिकूल हैं,उन्हें हटाया गया। यह जनहित याचिका डॉ0 अजय रावत द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम था।

गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण में कार्य पर रोक–उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय–

रूड़की के दिनेश भारद्वाज द्वारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सन् 2000 में सरकार का निर्देश था कि गंगा नदी के आस–पास 200 मीटर तक के क्षेत्र में कोई भी भवन निर्माण कार्य नहीं होगा। परन्तु फिर भी भू–माफियाओं इस आदेश की अनदेखी की तथा नदी के आस–पास होटल एवं भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हुए जिस कारण गंगा नदी प्रदूषित होने लगी तथा मृत्यु की स्थिति में आ गयी।

इसमें मा0 उच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायाधीश आलोक सिंह** ने राज्य सरकार को आदेश दिया की गंगा नदी के आस–पास 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि गंगा नदी प्रदूषित हो।

उत्तराखण्ड में नदियों के 200 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण रोक–

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय– जनहित याचिका न0 25 सन् 2013 अजय व्यास द्वारा दायर की गयी। उनका विषय नदियों के आस–पास अवैध निर्माण पर रोक। इस याचिका पर उत्तराखण्ड के उच्च न्यायालय ने 26–08–2013 को यह निर्णय दिया कि उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के आस–पास 200 मीटर के दायरे में कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं होगा। इन नदियों में गंगा नदी तथा इनकी सहायक अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडारी, काली एवं गौरी नदी। यह निर्णय केदारनाथ में आयी आपदा के दो माह बाद आया। यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय बैंच के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायाधीश सर्वेश गुप्ता द्वारा जारी किया गया, जो कि ऋषिकेश के सामाजिक कार्यकर्त्ता संजय व्यास द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर दिया गया।

आर0 एन0 एण्ड एण्ड्रा देहरादून बनाम् उत्तरप्रदेश वाद– इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिकथित करने वाले पर्यावरण विवाद को स्वीकार किया है कि मंसूरी के हिमालयी क्षेत्र में चूने के पत्थर के खनन के क्रिया–कलाप का परिणाम पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाली पर्यावरण की क्षति के रूप में होता है।

महत्त्व एवं निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण की समस्या केवल हमारे राज्य की ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के लिए चुनौती बनी हुई है। पर्यावरण का संतुलन होना अत्यन्त आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव केवल वर्तमान पर ही बल्कि आने वाले भविष्य पर भी पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। संविधान में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध एवं अनुच्छेदों की व्यवस्था की गयी है। समय–समय पर न्यायपालिका द्वारा उचित निर्णय एवं नियमों को अग्रसर किया जाता है। पर्यावरण से सम्बन्धित अधिनियम– वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, जल अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैव विविधता अधिनियम, 2002 आदि।

उपरोक्त अधिनियमों एवं कानूनों के निर्मित होने के पश्चात् भी दिन–प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसका मुख्य कारण मनुष्य का विकास के नाम पर स्वार्थी होना तथा प्रशासन की लापरवाही है। जिस कारण न्यायपालिका को पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में भी मा0 उच्च न्यायालय समय–समय पर पर्यावरण सरंक्षण के लिए क्रियाशील रहा है। उत्तराखण्ड में पर्यावरण से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये हैं–

1 नैनीताल में झील से एक निश्चित दूरी तक निर्माण कार्य निषिद्ध ताकि झील का पारिस्थितिकीय स्वच्छ एवं संतुलित रहे।
2 नैनीताल जिले के मॉलरोड में पानी के नालों के ऊपर हुए निर्माण कार्यों का अतिक्रमण।
3 उत्तराखण्ड की नदियों के आस–पास के 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक।

इस प्रकार कई महत्त्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गये हैं। न्यायापालिका के साथ–साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अनिवार्य रूप से देना चाहिए। न्यायपालिका का कार्य नियमों को लागू करना हैं पर इन नियमों को अमल में लाने कार्य मेरा और आप सब का हैं।

सन्दर्भ सूची

1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार
2 सिंह एस0 एन0, लॉ एण्ड सोशल चेंज, पी0 जी0 कृष्णन मैमोरियल फाउण्डेशन, दिल्ली, 1990, पृ.119
3 पिंजानी विनय कुमार, भारत का संविधान एवं पर्यावरण संरक्षण, विधि–भारती शोध पत्रिका, अंक–68, जुलाई–सितम्बर, 2011, पृ.314
4 सिंह अर्चना, पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में किये गये संवैधानिक प्रयास, समाज विज्ञान शोध पत्रिका, वाल्यूम–1, अप्रैल–सितम्बर, 2011, पृ.194
5 पंजानी विनय कुमार, भारत का संविधान एवं पर्यावरण संरक्षण, विधि–भारती शोध पत्रिका, अंक–68, जुलाई–सितम्बर, 2011, पृ.322

6 www.highcourtofuttarakhand.gov.in(Accessed 14 Oct. 2014)
7 www.Indiaenvironmentportal.org.in/category/18150/publisher/high-court- of – uttarakhand/
8 www.timesofindia.indiatimes.com (Accessed 14 Oct. 2014)
9 www.timesofindia.indiatimes.com (Accessed 14 Oct. 2014)
10 बाल्मीकी राधा, उत्तरांचल में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति एवं विकास (ऊधम सिंह नगर जनपद का एक अध्ययन), अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
11 न्यायपालिका एवं जनआकांशाएं, आचार्य नरेन्द्र देव शोध संस्थान, नैनीताल, वाल्यूम–1, 2006,
12 A JOURNAL OF ASIA FOR DEMOCARCY AND DEVWLOPMENT, VOL. 16(2) |